

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024

In the matter of:

Jagat Singh

.....Applicant

Versus


State of Uttar Pradesh & Ors.

.....Respondents

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE NO.
1.	Reply on Behalf Of Respondent No. 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16 along with supporting affidavit of each Respondents	1-5
2.	ANNEXURE I: Show cause notice dated 17.08.2024 by UP Pollution Control Board.	6-7
3.	ANNEXURE II: Show cause notices dated 30.08.2024 from UP Ground Water Department.	8-9

Through Counsel


 Yatharth Rohila
 Nihal Singh Shekhawat
Counsels for Respondent 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16
Add: Aeddhaas Legal LLP, A-48,
 Lajpat Nagar II, New Delhi -110024
 Email Id: yatharth.rohila@gmail.com
 M.No. 9999666038

Date : 26/09/2024

Place : New Delhi

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024

In the matter of:

Jagat Singh

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

....Respondents

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16

1. That, the present case is pending adjudication before this Hon'ble Court and same is listed for adjudication on 27.09.2024.
2. The present reply is being filed on behalf of Respondents no. 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 16. All the answering respondents are respectable citizens of India and have been falsely named by the Applicant, in order to harass them.
3. The answering respondents are the owners of following patches of land at Village Chak Basantpur, Pargana Dadri, Tehsil and District Gautam Buddh Nagar,:-

S. No.	Owners Name	Area	Date of Purchase
1.	Lalit Gogia (R9)	Does not own any plot of land in Yamuna Flood Plains	N/A
2.	Jatin Kakkar (R10)	1 <i>Bigha</i>	10.07.2018
3.	Hemant Malhotra (R11)	2 <i>Bigha</i>	10.07.2018
4.	Sanjay Kumar Arora (R12)	1 <i>Bigha</i>	

5.	Raj Arora (R13)	1 <i>Bigha</i>	17.10.2018
6.	Anamika Gogia (R14)	5 <i>Bigha</i>	17.10.2018
7.	Ashish Jain (R16)	1 <i>Bigha</i>	15.10.2018

4. That no illegal mining activity of any sort is going on the aforementioned plots of agricultural lands belonging to the answering respondents.
5. The Applicant on the other hand has been harassing the answering respondents to sell their land to him and has been filing false complaints against the answering respondents to various authorities. The said statement can be corroborated from the fact the Applicant neither chose to appear before this Hon'ble Tribunal nor did he join the inquiry proceedings conducted by Joint Inquiry Committee constituted by the DM, Gautam Budh Nagar along with various other authorities such as Uttar Pradesh Pollution Control Board, Mining Board, Ground Water Department and Irrigation Department.
6. That, the said land parcels of the answering respondents have been lying vacant since their purchase as the same were purchased as investment in the year 2018. Further, the said parcels of land already contained borewells at the time of purchase. However, the same were never used as the area where the said parcels of land are located does not have electricity supply, thus the same could never be operated. Thereby, no environmental damage has been caused at the instance of the answering respondents.
7. However, the UP Pollution Control Board has already issued show cause notice dated 17.08.2024 against the answering respondents, asking them to show cause as to why environmental compensation to the tune of Rs. 5000/- per day, for the last five years, should not be imposed on them for engaging in alleged illegal operation of stone

crushers, which the answering respondents will answer to. The copy of show cause notice dated 17.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE I**.

8. Further, the answering respondents have already received show cause notices dated 30.08.2024 from UP Ground Water Department for alleged violation of The Uttar Pradesh Ground Water (Maintenance & Regulation) Act, 2019 and will face the inquiry or legal action before the Ground Water Department and along with paying fine, if found guilty. The copy of the said show cause notice are annexed herewith and marked as **ANNEXURE II**.
9. Also, FIR has been registered for illegal mining by the UP Police, however, the answering respondents have not been named in the said FIR solely due to the reason that no activity of illegal mining was found on the land parcels belonging to the answering respondents.
10. The Hon'ble Tribunal may appoint a local commissioner or any other authority/body to inspect if any activity with respect to illegal mining is going on the aforementioned land parcels belonging to the answering respondents.


PRAYER

In light of the above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

- a. Consider the submissions made herein and dispose off the petition, in light of action already been taken against the answering respondents; and/or

- b. Pass any other order(s) as may be deemed fit and proper in the interest of justice.

Through Counsel



Yatharth Rohila

Nihal Singh Shekhawat

Counsels for Respondent 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16

Add: Aeddhaas Legal LLP, A-48,

Lajpat Nagar II, New Delhi -110024

Email Id: yatharth.rohila@gmail.com

M.No. 9999666038

Date : 26/09/2024

Place : New Delhi

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024

In the matter of:

Jagat Singh

.....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

....Respondent

**AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REPLY ON BEHALF
COUNSEL OF RESPONDENT 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16**

I Yatharth Rohila Enrolment no. D-1601/2016 office address at Aeddhaas Legal LLP, A-48, Lajpat Nagar II, Delhi 24 do hereby solemnly affirm and state as follows:


1. That I am the counsel for Respondent No. 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16 in the present Original Application and am fully acquainted with the facts and circumstances of the case based on the official records and the instructions provided to me by the respondent.
2. That I have prepared and filed the reply before this Hon'ble Tribunal under the instructions of Respondent No. 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16, and the contents from Para No. 1 to Para No. 10 are true and correct to the best of my knowledge, belief, and information based on the facts provided by my client.
3. That I have drafted the reply to the best of my professional competence and on instructions of Respondent 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16, and nothing material has been concealed therein.
4. That I make this affidavit on behalf of Respondent No. 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 16 in support of the reply filed and to affirm the correctness of the facts stated therein.

Yatharth Rohila
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the deponent above-named, do hereby verify that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false, and nothing material has been concealed therein.

Verified at _____ on this _____ of September, 2024.



ATTESTED
A Singh
NOTARY PUBLIC
DELHI (INDIA)

26 SEP 2024

Yatharth Rohila
DEPONENT



111
103

Annexure-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 15903 / C-1 / एन0जी0टी0-244 / पर्या0क्षति0-का0ब0नो0 / 2024 Date: ..17.08.2024

सेवा में,

पंजीकृत

1. श्री कृष्णपाल व श्री विजयपाल व जय किशन पुत्र श्री चेताराम व श्री चेताराम पुत्र अमीचन्द्र, निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-128, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
2. श्री मिथुन व श्री सधिन पुत्र श्री कृष्णपाल, निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-128, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
3. श्री गिरीराज पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी असगरपुर जागीर, थाना सेक्टर-126, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
4. श्री महावीर पुत्र श्री परमाल निवासी जलपुरा, थाना ईकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर।
5. श्री ललित गौगीया पुत्र श्री किशन चन्द्र, निवासी 289, प्रथम तल, जागृति इनक्लेव, शकरपुर, नई दिल्ली।
6. श्री जतिन पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 8/25, गीता कालोनी, दिल्ली, नई दिल्ली।
7. श्री हेमन्त पुत्र श्री पूरन, निवासी 8/25, गांधी नगर, नई दिल्ली।
8. श्री संजय कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी 8/32, फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली।
9. श्री राज अरोडा पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी 8/32, फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली।
10. श्रीमती अनामिका गौगीया पत्नी श्री ललित गौगीया, निवासी 289, प्रथम तल, जागृति इनक्लेव, भाकरपुर, नई दिल्ली।
11. श्री संदीप महेश्वरी पुत्र श्री छगनलाल निवासी एच0एन0 3बी0 हवेलिया, न्यू पानी की टंकी रोड़, भाकरपुर, बिरुवरी, गुवहाटी, असम।
12. श्री आशुष पुत्र श्री अशोक, निवासी मैन रोड, जिला जौरहार, असम।
13. श्री सुभाष पुत्र श्री राम चरण, निवासी घोड़ी बछेडा, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर।

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में अवैध स्टोन क्रेशर चलवाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र सं0 110/एल-193/2024 दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 24.06.2024 को ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर निरीक्षण व कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिकायती पत्र में उल्लिखित ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर की उक्त भूमि एक ही स्थल पर है, जो आपस में मिली हुई है। जिस स्थल पर कार्य किया जा रहा है वह कृषि भूमि है एवं यमुना डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर जाने हेतु मार्ग पर लोहे के पाईपों से तैयार अवैध रूप से की गयी बैरीकेटिंग की गयी है जिसे ताले के माध्यम से बन्द किया गया था व खोलने हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। निरीक्षण के समय मैटेरियल लाने व ले जाने वाले वाहनों का आवागमन हेतु इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। समिति द्वारा ताले को तोड़ कर स्थल में प्रवेश किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर बड़ी मात्रा में भण्डारित पायी गयी व जल दोहन हेतु बोरवेल भी स्थापित पाये गये। निरीक्षण के दौरान पत्थर पिसाई, कटाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित व कार्यरत नहीं पायी गयी तथा कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं पाये गये।

निरीक्षण उपरान्त संयुक्त समिति की आख्या पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा उपजिलाधिकारी, सदर व दादरी को कार्य स्थल के खसरो के स्वामियों को चिन्हित कराकर नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं0 256/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित किये जा रहे व पत्थर पिसाई इत्यादि कार्यों को रोकने हेतु सम्बन्धित थाना अध्यक्ष को निर्देशित किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 255/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, निरीक्षण के दौरान भण्डारित पायी गयी मैटेरियल के मापन व सर्वे कराकर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु

.....2/-

जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को कार्यालय के पत्र सं० 257/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, पुस्त दीवार/बाउण्ड्री को तोड़ कर अवैध रूप से बनाये गये रास्तों को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं० 258/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया व अवैध रूप से स्थापित पाये गये बोरवेलों को सील किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं० 258/एल-193/2024 दिनांक 24.06.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुपालन में भूगर्भ जल विभाग द्वारा 10 बोरवेलों को सील किया गया है।

जिला खान अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रेषित आख्या पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि खनन विभाग व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा संयुक्त रूप से किये गये मापन/सर्वे में 412 घनमीटर स्टोन डस्ट व 1852 घनमीटर सैंड डस्ट क्षेत्र में भण्डारित है।

यद्यपि निरीक्षण के समय स्थल पर कोई व्यक्ति अथवा प्लान्ट मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी, परन्तु जिला खान अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र दिनांक 09.08.2024 से स्पष्ट है कि यमुना पुस्ते के ग्राम चकबसन्तपुर एवं असगरपुर में अवैध रूप से पत्थर की पिसाई एवं खनन का कार्य पूर्व में किया गया है। आवेदक द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर आवेदन एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 में अवैध स्टोन क्रेशर चलवाये जाने वाले उपरोक्त आरोपियों के नाम व पता उल्लिखित हैं।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मा० अधिकरण में प्रेषित शिकायत में वर्णित व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन्स के अनुसार रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष की समयावधि को आधार मानते हुये प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाईड लाईन के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

“यह कि क्यों न मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषियों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाईड लाईन के आधार पर दोषियों के विरुद्ध रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये?”

उपरोक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध रू० 5,000/- प्रतिदिन की दर से विगत 05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

संलग्नक-क्षेत्रीय अधिकारी से प्राप्त आख्या दिनांक 17.08.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


भवदीय,


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1
04

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।


मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1
04

कार्यालय
अधिशारी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0-18 असल गोलफ लिंक-2,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 708 / भू०ज०वि० / एक्ट (एनओसी)-24 / गौतमबुद्धनगर

दिनांक 30 अगस्त, 2024

- 1-विजयपाल व जयकिश व किष्णपाल पुत्र चेताराम निवासी ग्राम असगरपुर जागीर थाना सैक्टर 126नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।
- 2-सुन्दर पुत्र लिकखी ग्राम असगरपुर जागीर थाना सैक्टर 126नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।
- 3-महावीर पुत्र परमाल ग्राम जलपुरा ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 4-मनवीर पुत्र टेकराम ग्राम हरौला सैक्टर 9, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 5-सतवीर पुत्र जयचन्द ग्राम वल्लुपुरा ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 6- गिरराज पुत्र बर्मसिंह निवासी ग्राम असगरपुर जागीर थाना सैक्टर 126नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर।
- 7-सुभाष पुत्र रामवरण निवासी घोड़ी बछेडा, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 8-जितिन पुत्र मोहन लाल निवासी -8/32 फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली।
- 9-राज अरोडा पुत्र ओमप्रकाश निवासी-8/32 फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली।
- 10-अनामिका गोगीया पुत्री ललित गोगीया निवासी-289, प्रथम तल, जागृति एन्कलेव, शकरपुर, नई दिल्ली।
- 11-सदीप महेशवरी पुत्र छग्गन लाल निवासी- एच0एन0-3बी हवेलिया न्यू पानी की टंकी रोड, शकरपुर, बिरुवरी, गुवहाटी असम
- 12-आशुष पुत्र अशोक निवासी- मैन रोड, जिला जौरहार असम।
- 13-हेमन्त पुत्र पूरन निवासी-8/25 गीता कालोनी, दिल्ली, नई दिल्ली।

नोटिस


उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1668/79-वि-1-19-1(क)-14-19 लखनऊ 07 अगस्त, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 प्रख्यापित होने के पश्चात भूगर्भ जल का दोहन जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद् से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना, लागू किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 की धारा 12(1) एवं (2) के अन्तर्गत यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक भूजल उपभोक्ता रजिस्ट्रीकरण के बिना भूगर्भ जल का दोहन पाया जाता है, तो यथा स्थिति वह या व्यक्ति समूह या कोई अभिकरण अध्याय-8 के अधीन दण्डित किये जाने के भागी होंगे।

बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर के पत्रांक-562/भू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)/गौतमबुद्धनगर दिनांक 19/06/2024 के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। परन्तु आपके द्वारा भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित नहीं किये जाने के कारण जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् आप द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये भूजल दोहन किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाये जाने की सहमति व्यक्त की गयी।

उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के अध्याय-08 की धारा 39(1) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये, पाँच लाख रुपये (रु० 5,00,000/-) जुर्माने की अधिरोपित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यह धनराशि "भूगर्भ जल निधि" के लोक लेखा शीर्ष 8235002000400 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए, साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। इसके अतिरिक्त बीरवल द्वारा अबैध भूजल दोहन को तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए कार्यालय को इसकी प्रमाणिकता से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाता है अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।


(अंकिता राय)
हाइड्रोलॉजिस्ट
भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड-गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- /मू०ज०वि०/एक्ट(एनओसी)-23/गौतमबुद्धनगर तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद् गौतमबुद्धनगर।
- 2- निदेशक भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोएडा /गेटर नोएडा।
- 4- वरिष्ठ प्रबंधक (जल-1),(जल-2),नोएडा प्राधिकरण।

/
हाइड्रोलॉजिस्ट
भूगर्भ जल विभाग,
खण्ड-गौतमबुद्धनगर